

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2-109/दो-गृह/रापुसे/2011, दिनांक 28.

12.2011-छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दिये गये अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है।

अनुसूची:-

क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	पुलिस थाना	थाने में पंजीबद्ध अपराधों की संख्या की जानकारी।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
2	पुलिस थाना	सडक दुर्घटना में मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
3	पुलिस थाना	अज्ञात वाहन दुर्घटना प्रकरणों में जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
4	पुलिस थाना	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना दायर होने पर राहत हेतु प्रकरण प्रस्तुतीकरण।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक
5	पुलिस थाना	प्राकृतिक आपदाओं (जिसमें पुलिस ने जाँच या विवेचना की है) में पीडित परिवारों को राहत हेतु तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करना।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
6	पुलिस थाना	सडक दुर्घटना में घायलों को तत्कालिक राहत हेतु कार्यवाही।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
7	पुलिस थाना	किसी प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मुआवजा राशि के विभिन्न बीमा क्लेम एवं राहत योजनाओं के तहत आवेदन पर कार्यवाही	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
8	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	प्रस्तुत शिकायत पत्र/आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु आवेदन पत्र पर कार्यवाही।	30 कार्य दिवस	उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय	पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक रेंज

कार्यालय आरक्षी केन्द्र.....जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

क्रमांक:- /18

दिनांक:- / /20...

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय,

.....
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

विषय:- राजस्व पुस्तक परिपत्र-6-4 के अनुसार आकस्मिक मृत्यु की मुआवजा राशि स्वीकृत करने के संबंध में।

--00--

थाना.....

जिला.....

मर्ग क्रमांक.....

धारा.....

घटना स्थल.....

दिनांक घटना व समय.....

दिनांक व समय रिपोर्ट.....

नाम व पता प्रार्थी.....

नाम व पता मृतक-.....

नाम व पता मृतक के रिश्तेदार.....

नाम व पता घायल-

01.....

02.....

03.....

04.....

05.....

नाम व पद विवेचक.....

घटना का संक्षिप्त विवरण.....

कोरबा पुलिस

सहपत्र-

1. मर्ग इंटिमेशन की छायाप्रति।
2. जप्ती की छायाप्रति।
3. घटनास्थल नक्शा की छायाप्रति।
4. शव परीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति।
5. पंचायतनामा की छायाप्रति।
6. घायलों के डॉक्टरी परीक्षण की छायाप्रति।

थाना प्रभारी

.....
जिला कोरबा(छ0ग0)

कार्यालय आरक्षी केन्द्र.....जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

क्रमांक:- /18

दिनांक:- / /20...

प्रति,

श्रीमान जिला सत्र न्यायधीश महोदय,
मोटर-यान दावा प्राधिकरण,
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

विषय:- मोटर-यान अधिनियम की धारा 166/140 के अंतर्गत मोटर-यान दावा प्रकरण के संबंध में।

--00--

थाना.....

जिला.....

अपराध क्रमांक.....

धारा.....

मर्ग क्रमांक.....

घटना स्थल.....

दिनांक घटना व समय.....

दिनांक व समय रिपोर्ट.....

नाम व पता प्रार्थी.....

.....

नाम व पता मृतक-.....

नाम व पता मृतक के रिश्तेदार.....

.....

नाम व पता घायल-

01.....

02.....

03.....

04.....

05.....

नाम व पता आरोपी चालक.....

.....

नाम व पता वाहन मालिक.....

.....

वाहन क्रमांक-.....बीमा नंबर एवं म्याद.....

रजिस्ट्रेशन नंबर एवं म्याद.....फिटनेस म्याद.....

नाम व पद विवेचक.....

घटना का संक्षिप्त विवरण.....

.....

.....

सहपत्र-

1. मर्ग इंटिमेशन की छायाप्रति।

2. जप्ती की छायाप्रति।

3. घटनास्थल नक्शा की छायाप्रति।

4. शव परीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति।

5. पंचायतनामा की छायाप्रति।

6. घायलों के डॉक्टर परीक्षण की छायाप्रति।

थाना प्रभारी

.....

जिला कोरबा(छ0ग0)

कार्यालय आरक्षी केन्द्र.....जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

क्रमांक:- /18

दिनांक:- / /20...

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय,

.....
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

विषय:- अज्ञात वाहन द्वारा कारित मृत्यु की मुआवजा राशि स्वीकृत करने के संबंध में।

--00--

थाना.....

जिला.....

अपराध क्रमांक.....

धारा.....

मर्ग क्रमांक

घटना स्थल.....

दिनांक घटना व समय.....

दिनांक व समय रिपोर्ट.....

नाम व पता प्रार्थी.....

नाम व पता मृतक-.....

नाम व पता मृतक के रिश्तेदार.....

नाम व पता घायल-

01.....

02.....

03.....

04.....

05.....

नाम व पद विवेचक.....

घटना का संक्षिप्त विवरण.....

.....

.....

.....

.....

.....

सहपत्र-

1. मर्ग इंटिमेशन की छायाप्रति।

2. जप्ती की छायाप्रति।

3. घटनास्थल नक्शा की छायाप्रति।

4. शव परीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति।

5. पंचायतनामा की छायाप्रति।

6. घायलों के डॉक्टरी परीक्षण की छायाप्रति।

थाना प्रभारी

.....

जिला कोरबा(छ0ग0)